नकल आदेश दिनांक 25-2-23 छायाप्रति

CANCELLED

CANCELLED

मण्डल:- अयोध्या,जनपद:- बाराबंकी,तहसील:- नबाबगंज

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 15765/2022

इरम मेडिकल कालेज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2022412480115765

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 25/02/2023

अंतिम आदेश

आदेश. 70/2023

2-7 रु०
01/3/23

निर्णय

प्रस्तुत वाद धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत इरम मेडिकल कालेज जहाँगीराबाद बाराबंकी द्वारा प्रबन्धक प्रबन्धक ख्वाजा बज्मी यूनुस पुत्र श्री मो0 यूनुस निवासी ए-841 इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.07.2022 पर तहसीलदार नवाबगंज द्वारा नियत प्रारूप पर प्रेषित आख्या दिनांक 30.09.2022 के आधार पर प्रारम्भ हुई। वाद नियमानुसार पंजीकृत किया गया। दौरान सुनवाई वाद इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.10.2022 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया गया। तत्क्रम में वादी द्वारा दिनांक 22.02.2023 को वाजदायर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 29.10.2022 रिकॉल कर वाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में वाजदायर प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2023 को स्वीकार करते हुए वाद पुर्नस्थापित किया गया।

उपजिलाधिकारी अधिकारी नवाबगंज बाराबंकी

वादी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 23.02.2023 प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि ग्राम मुहीउद्दीनपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी सन् फ0 1427-1432 की खाता संख्या 00065 की गाटा संख्या 2555, 2557, 2561, 2563 इरम मेडिकल कालेज जहाँगीराबाद बाराबंकी के नाम दर्ज अभिलेख है। संस्था की देखरेख एवं अन्य शासकीय कार्यों के संचालन हेतु पूर्व में डा0 ख्वाजा सै0मो0यूनुस पुत्र स्व0 मो0 अयूब निवासी कैम्पस इरम डिग्री कालेज सी0 ब्लाक इन्दिर नगर को प्रबन्धक बनाया गया था जिनकी दिनांक 04.03.2019 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त वर्तमान म प्रार्थी/शपथकर्ता को इरम मेडिकल जहाँगीराबाद बाराबंकी का प्रबन्धक नियुक्त किए जाने हेतु सोसाइटी के अनुमोदन के उपरान्त कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिटस लखनऊ मण्डल, लखनऊ के स्तर से अनुमोदन प्रदान किया गया है। शपथकर्ता वर्तमान में इरम मेडिकल कॉलेज जहाँगीराबाद बाराबंकी के प्रबन्धक के पद पर निर्विवाद रूप से कार्यरत है। शपथकर्ता द्वारा शासकीय कार्यहित में संस्था की उपरोक्त भूमि को कृषि से अकृषक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किए जाने हेतु धारा-80 उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो महोदय के आदेश दिनांक 29.10.2022 के अन्तर्गत इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अभिलेखों में दर्ज संस्था के प्रबन्धक की मृत्यु हो गयी है। उपरोक्त भूमि संस्था के नाम दर्ज अभिलेख है। प्रबन्धक का दायित्व मात्र संस्था की देखरेख एवं शासकीय कार्यों के निवर्हन हेतु है। संस्था के बायलाज के अनुसार प्रबन्धक के पास भूमि का कोई स्वामित्व नही है।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि खतौनी सन् फ0 1427-1432 की खाता संख्या 00065 की गाटा संख्या 2555 रकबा 1.3820हे0 भू0 राजस्व परता खाता भूमि स्थित ग्राम मुहीउद्दीनपुर परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी इरम मेडिकल कालेज जहाँगीराबाद बाराबंकी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज सरकारी कागजात है। वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त गाटा संख्या पर आवासीय गतिविधियाँ विद्यमान हो जाने के कारण अब उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य सम्भव नहीं है, जिसके कारण उपरोक्त भूमि कृषि कार्य प्रयोजन में न आने के कारण गैर कृषिक घोषित किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित जॉच आख्या 30.0.2022 एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इरम मेडिकल कालेज जहाँगीराबाद बाराबंकी के नाम खतौनी सन् फ0

1427-1432 की खाता संख्या 00065 की गाटा संख्या 2555 रकबा 1.3820है0 भू0 राजस्व परता खाता को धारा-80(2) राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रयोजन हेतु घोषित किए जाने की उदघोषणा निम्न प्रकार से उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जा रही हैः-

धारा-80(2)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तगत तहसीलदार नवाबगंज द्वारा प्रेषित आख्या निम्नवत् हैः-

राजस्व ग्राम का नाम मुहीउद्दीनपुर परगना व तहसील नवाबगंज बाराबंकी

भूमिधर का नाम/पिता का नाम व स्थानः- इरम मेडिकल कालेज जहाँगीराबाद बाराबंकी द्वारा प्रबधक डा0 ख्वाजा सै0 मो0 यूनुस पुत्र स्व0 मोहम्मद अय्यूब निवासी कैम्पस इरम डिग्री कालेज सी0 ब्लाक इन्दिरा नगर लखनऊ।

खतौनी खाता संख्या/खाते का क्षे0/माल गुजारी- 00065/1.859है0/रू0 40.00

गाटा संख्या/आवेदित अंशः- 2555/1.382है0 सम्पूर्ण

शुल्क का विवरण-उद्घोषणा शुल्क रू0 1,24,380-00 व स्टाम्प शुल्क रू0 1,24,380-00

2-वादी द्वारा स्वयं प्रार्थना पत्र दिया गया है। ऐसी स्थिति मे नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

3-वादी के आवेदित रकबा 1.382है0 पर आवासीय गतिविधियों प्रस्तावित है, जिसका सम्बन्ध कृषि बागवानी, मत्स्य पालन व कुटकुट पालन से नहीं है।

4-उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 की धारा-85(2) के अन्तगत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा प्रश्नगत रकबे का कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उद्घोषणा शुल्क हेतु आगणित रकम का एक प्रतिशत रू0 1,24,380-00 चालान सख्या आर0ए0जे0 230008490/24.02.2023 व विभाजन शुल्क रू0 1000-00 चालान सख्या 5400/01 बी0ओ0 000029/24.02.2023 व स्टाम्प शुल्क रू0 1,24,380-00/24.02.2023 का ई स्टाम्प संख्या आई0 एन0-यू0पी0-44019008575159वी0 दाखिल किया गया है।

5- चूँकि वादी द्वारा अपनी जोत का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, इसलिए राजस्व नियमावली-2016 के नियम-88 के अन्तगत उल्लिखित राजस्व संहिता-2006 की धारा-22 (2) के अनुसार उद्घोषणा शुल्क जरिये चालान सम्बन्धित लेखा शीर्षक में व न्याय शुल्क जरिये स्टाम्प जमा किया गया है।

6-इस उद्घोषणा में मात्र भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होने के आधार पर भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किया जा रहा है, परन्तु मात्र इस घोषणा के आधार पर कोई भू-स्वामी भू-अर्जन की स्थिति में व्यवसायिक दर से प्रतिकर की माँग नही करेगां इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प संख्या 50ए0ई0 307226/18.07.2022 पर प्रस्तुत किया गया है।

7-यह उद्घोषणा मात्र भूमि के अकृषिक प्रयोजन के संदर्भ में है, इस उद्घोषणा को स्वत्व सम्बन्धी किसी विवाद में आधार नही माना जायेगा। इस सम्बन्ध मे वादी द्वारा शपथ पत्र स्टाम्प संख्या 50ए0ई0 307226/18.07.2022 पर प्रस्तुत किया गया है।

8-इस उद्घोषणा का विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत बाराबंकी पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदकगण को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना होगा तथा विनियमित क्षेत्र महायोजना/जिला पंचायत योजना का पालन करना होगा।

9-आवेदित गाटा संख्या में अन्य सहखातेदार नही हैं।  ,

अतएव प्रश्नगत भूमि गैरकृषिक प्रयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। अतः ग्राम मुहीउद्दीनपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी स्थित भूमि खतौनी सन् फ0 1427-1432 की खाता संख्या 00065 की गाटा संख्या 2555 रकबा 1.382है0 भू0 राजस्व परता खाता को कृषि से अलग कार्यो में प्रयुक्त किये जाने के कारण धारा-80(2) उ0प्र0राजस्व संहिता-2006 के अन्तगत गैरकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार नवाबगंज द्वारा अग्रसारित की गयी है। तहसीलदार नवाबगंज की जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया जिससे विदित होता है कि आवेदित रकबा 1.3820है0

गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किया जा सकता है। इस कारण उक्त धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार उद्घोषणा शुल्क रू0 1,24,380-00, विभाजन शुल्क रू0 1000-00 का चालान एवं स्टाम्प शुल्क रू0 1,24,380-00 का ई-स्टाम्प आवेदक द्वारा जमा किया गया। अतः उपरोक्त भूमि राजस्व संहिता-2006 की धारा-80(2) के अन्तर्गत गैरकृषिक प्रस्तावित भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम मुहीउद्दीनपुर परगना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की खतौनी फ0 वर्ष 1427-1432 की खाता संख्या 00065 पर संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी 1-क) अंकित भूमि गाटा संख्या 2555 रकबा 1.3820है0 भू0 राजस्व परता खाता को धारा-80(2) उ0प्र0रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक/संस्था को धारा 80(2) उ0प्र0 रा0सं0-2006 द्वारा संशोधित अध्यादेश-2019 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। मात्र इस उद्घोषणा के आधार पर व्यवसायिक दर से प्रतिकर देय नही होगा तथा इस उद्घोषणा का जिला पंचायत बाराबंकी की योजना पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। आवेदक/संस्था को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना तथा मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा एवं जिला पंचायत बाराबंकी की योजना का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। यदि उल्लिखित गाटा संख्याओं के विरूद्ध ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उ0प्र0रा0सं0-2006 की धारा-82 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली सचित अभिलेखागार हो।

दिनांक- 25 फरवरी, 2023

(बिजय कुमार त्रिवेदी)
उपजिलाधिकारी
नवाबगंज-बाराबंकी।

उपजिलाधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर नवाबगंज बाराबंकी

01/3/23

छायाप्रति
TRUE COPY
01/3/23